PD-6

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

कार्यालय मुख्य लेखाधिकारी (लेखा.कर एव राजस्व)

क्रमांक: जे.पी.डी. / मु.ले.अ(ले.क.रा.) / राज. / पत्रा 506 / प्र 664 जयपुर दिनांक [illegible]

आदेश

विद्युत आपूर्ति हेतु शर्ते एव निबंधन (TCOS) 2004 के उपाबंध 30 (2) के प्रावधानों के अनुसार बंद और त्रुटिपूर्ण मीटर के संबंध मे यदि उपभोक्ता के मीटर को त्रुटि / बंद का पता लगने के 2 माह के अन्दर प्रतिस्थापित नही किया जाता है तो विद्युत कर व अन्य करों को छोड कर उपाबंध–27 के अंतर्गत बनाये गये कुल विपत्र पर 5% की छूट मासिक / पाक्षिक विपत्रण की दशा मे तीसरे मासिक विपत्र से तथा द्विमासिक विपत्रण की दशा मे दूसरे मासिक विपत्र से ऐसा पता लगने की तिथि से प्रतिस्थापन तक अनुमत की जाऐगी। इस संबंध मे इस छूट को देने के लिए निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है:-

1. सर्वप्रथम जैसे ही बंद / त्रुटिपूर्ण मीटर की जानकारी मिलती है तो यथा संभव उपखण्ड द्वारा उपभोक्ता की Premises पर HHT मशीन के द्वारा उपभोक्ता के मीटर की वास्तविक रीडिंग लेकर विद्युत उपभोग की गणना की जाकर उसके आधार पर विद्युत विपत्र जारी किया जायेगा अन्यथा मीटर को उतार कर उपखण्ड कार्यालय में जमा होने पर HHT मशीन से जांच कर वास्तविक उपभोग के आधार पर बिल जारी किया जायेगा। दोनो परिस्थितियो मे यदि HHT मशीन के द्वारा मीटर द्वारा दर्ज उपभोग प्रदर्शित नहीं होता है तो उस दशा में (TCOS) 2004 के उपाबंध 30 (2) के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता को 5% की छूट प्रदान की जायेगी। इस छूट की अवधि त्रुटि का पता लगने की तिथि से दो माह की अवधि पश्चात (बंद एवं त्रुटि पूर्ण मीटर को उक्त अवधि मे नही बदलने की स्थिति में) मीटर प्रतिस्थापन तक की होगी।
2. इस संबंध में सहायक अभियन्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र (CB-12) में भरकर ट्रांजेक्शन कोड 48 द्वारा बिलिंग एजेंसी को प्रेषित करेंगे और बिलिंग एजेंसी तदनुसार छूट की राशि का समायोजन उपभोक्ता के बिलों मे करेगी।
3. छूट के लिए निर्धारित प्रपत्र में दर्शायी राशि की गणना उपरोक्तनुसार की जायेगी और सही गणना की समस्त जिम्मेदारी सहायक राजस्व अधिकारी तथा सहायक अभियन्ता की सामूहिक रूप से होगी।
4. कम्पयूटर बिलिंग ऐजेंसी, सहायक अभियन्ता कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र (CB-12) के आधार पर संबधित उपभोक्ता के बिलों में देय छूट (रिबेट) को समायोजित करेगी एवं तदनुसार उपभोक्ता के बिल, लेजर एव MIS में प्रदर्शित करेगी तथा इसका पृथक से आउटपुट (संलग्न) तैयार कर संबधित सहायक अभियंता एव संबंधित लेखाधिकारी को प्रेषित करेगी।
5. सहायक अभियंता अपने स्तर पर सुनिश्चित करें कि यथासंभव त्रुटिपूर्ण / बंद मीटर को कम से कम समयावधि में प्रतिस्थापन कर दिया जावे जिससे निगम को छूट देने के कारण हुइ वित्तीय हानि से बचा जा सके।

(के.एल. गुप्ता)
मुख्य लेखाधिकारी
(लेखा,कर एवं राजस्व)

C:\Users\jvvnl Revenue 1st letters Hindi.doc

प्रतिलिपी वास्ते सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है

1. मुख्य अभियन्ता (   ), ज.वि.वि.नि. लिमिटेड, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी (   ), ज.वि.वि.नि. लिमिटेड, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता (   ), ज.वि.वि.नि. लिमिटेड
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (   ) [illegible]
5. मैसर्स बीसीआईटीएस, खंडेला हाऊस, बी 20 [illegible] डाटा इंफोसिस, स्टेशन रोड, दुर्गापुरा, जयपुर

मुख्य लेखाधिकारी
(लेखा,कर एवं राजस्व)

C:\Users\jvvnl Revenue 1st letters Hindi.doc

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

Satement Showing 5% Rebate Allowed to Consumer Under
Tranction Code 48 For Stop/Defective Meters

CIRCLE---------- Billing Month------

S.No.	Category	Amount	
		No of consumer	Amount involved
1	2	3	4
1	Domestic		
2	Non - Domestic		
3	Public Street Lighting		
4	Agriculture - Metered		
5	Agriculture - Flat Rate		
6	Nursery		
7	Poultry		
8	Industrial Power(S)		
9	Industrial Power(M)		
10	Industrial Power(L)		
11	Public Water Works(S)		
12	Public Water Works(M)		
13	Public Water Works(L)		
14	Supply to other State		
15	Bulk Supply to Mixed Load		
16	Traction Railway		
	TOTAL	0	0.00